राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 52 सन 2018

1. मिनाक्षी धर्मपत्नि सतवीर पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सविता धर्मपत्नि सुरेन्द्र पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामप्रताप उर्फ प्रताप पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुनीता पुत्री रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सतवीर पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 139 / 119 की कुल 4.8070हैक वादीयान के ससुर रामप्रताप पुत्र गणेशाराम एवं रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 87 / 78 की कुल 2.7421हैक एवं रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 66 / 63 की कुल 2.0240हैक भूमि रामप्रताप पुत्र गणेशाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में गणेशाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद रामप्रताप प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के नाम से चक 11 जेएसएन में भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास भी चक 10 जेएसएन में भूमि है रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के साथ प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है वादीयान प्रतिवादी संख्या 3 ,4 की पत्निया है प्रतिवादीया संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीयान के पक्ष में किया हुआ है क्यो कि प्रतिवादी संख्या 1 , 3 , 4 के पास पूर्व में ही भूमि है वादीयान प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा उनके पक्ष में त्याग की गई भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने की अधिकारी है वादीयान के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि में पैतृक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीयान के पक्ष में किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि वादीयान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है ना ही अन्य प्रतिवादीगण को ऐतराज है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज गणेशाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवाद संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है वादीयान का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीयान के पक्ष में किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादीयान के कथनों का स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज भूमि को

वादीयान के नाम से दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 87/78 की कुल 8.7300हैक्‍ में से 2.4721हैक्‍ व रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 66/63 की कुल 2.0240हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के रामप्रताप उर्फ प्रताप का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्ताकर है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–जसाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

वाद सं0 :52 सन 2018

1. मिनाक्षी धर्मपत्नि सतवीर पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 सविता धर्मपत्नि सुरेन्द्र पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामप्रताप उर्फ प्रताप पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2 सुनीता पुत्री रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3 सतवीर पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4 सुरेन्द्र पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक– 18.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 87/78 की कुल 8.7300हैक में से 2.4721हैक व रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 66/63 की कुल 2.0240हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के रामप्रताप उर्फ प्रताप का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्ताकर है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूप्ये पाच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SAZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट– जसाना